दक्षिण एशियाई-खाड़ी प्रवासी संकट

लेखक - एस. इरुदय राजन (प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

29 जुलाई, 2020

''दक्षिण एशियाई श्रम बल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन इसका कोई सामाजिक सुरक्षा संरक्षण या श्रम अधिकार नहीं है।''

जुलाई की शुरुआत में, केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को NRI, जो विदेश में अपनी नौकरी खो चुके हैं और उचित मुआवजे की तलाश में भारत लौट आए हैं, की सहायता के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। याचिका कानूनी विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, बियॉन्ड बॉर्डर्स द्वारा डाली गई थी। इस याचिका में अदालत को नहीं दिए गये वेतन के भुगतान के लिए हस्तक्षेप करने, अवशिष्ट बकाया, सेवानिवृत्ति लाभ और यहाँ तक कि प्रवासी श्रमिकों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने की मांग की गयी है, जो COVID-19 महामारी से मर गए थे। खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) देशों में प्रवासी श्रमिकों की अनिश्चित परिस्थितियों को उजागर करती है। नियोक्ता, विशेष रूप से निर्माण कंपनियों, ने संकट को प्रवासी मजदूरों को बड़े पैमाने पर मजदूरी या भत्ते का भुगतान किए बिना लाभ उठाने के अवसर के रूप में उपयोग किया है।

संकट की स्थिति

दक्षिण एशिया-खाड़ी प्रवास गलियारा दुनिया में सबसे बड़ा है। खाड़ी में दक्षिण एशियाई लगभग 15 मिलियन हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 2019 में, दक्षिण एशिया में कुल प्रेषण लगभग 140 बिलियन डॉलर था, जिसमें से भारत को 83.1 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान को 22.5 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश को 18.3 बिलियन डॉलर और नेपाल को 8.1 बिलियन डॉलर मिले। दक्षिण एशियाई श्रम शक्ति खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं।

महामारी, कंपनियों का बंद होना, सीमाओं का बंद होना और कफाला प्रायोजन प्रणाली की शोषक प्रकृति ने दक्षिण एशियाई प्रवासी श्रमिकों के दु:खों को बढ़ा दिया है। उनके पास कोई सुरक्षा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा तंत्र,कल्याण तंत्र या श्रम अधिकार नहीं हैं। ये घटनाएं प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा की याद दिलाती हैं,जिन्हें 1990 में कुवैत में इराकी आक्रमण के दौरान हटाना पड़ा था। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में, केरल सरकार से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए नियमित दवाएं भेजने का अनुरोध किया गया था। चूंकि दवाएं GCC में महंगी हैं, इसलिए प्रवासी अक्सर उन्हें भारत से खरीद कर कुछ महीनों के लिए स्टॉक कर लेते हैं। हालांकि, उड़ानों का निलंबन दवाओं की तीव्र कमी का कारण बना और इन श्रमिकों के लिए GCC में घातक चिकित्सा बीमा प्रणाली को उजागर किया गया। अब, हजारों श्रमिक इन देशों से खाली हाथ घर लौट आए हैं।

भारतीय दक्षिण एशियाई कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से का गठन करते हैं। प्रवासियों के बहुमत वाले श्रम शिविरों में रहने वाले एकल पुरुष हैं। वे घर पैसे भेजने के लिए अपनी आमदनी को बचाते और कमरे एवं शौचालय तक साझा करते हैं, ताकि अधिक से अधिक पैसें बच सके। इन श्रम शिविरों में COVID-19 महामारी का अधिक प्रसार मुख्य रूप से भीड़भाड़ और असमानता की स्थिति के कारण रहा है। हालांकि, COVID-19 संकट और इस संकट की घड़ी में खाड़ी देशों द्वारा मजदूरों को उचित प्रतिक्रिया न देने के परिणामस्वरूप सबसे उपेक्षित खंड प्रवासी महिला घरेलू कामगार, जिनके अनकहे दु:खों से वर्तमान अस्थिर स्थिति में वृद्धि हुई है।

भारतीय मिशन, अपर्याप्त प्रशासनिक कर्मियों के साथ, प्रवासियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर सके। मजदूरों की इसी स्थिति ने भारत सरकार को वंदे भारत मिशन के माध्यम से अनिवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए मजबूर किया। भारत सरकार ने विभिन्न गंतव्यों से 7.88 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को वापस लाने में सफलता हासिल की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि भी अपने-अपने नागरिकों को वापस ला रहे हैं।

पुनर्वास, पुनर्निवेश और फिर से संगठित करना

अब इन प्रवासी श्रमिकों के वापस आने के बाद संबंधित देशों को इनके पुनर्निवेश और पुनर्वास की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सुविधा के लिए, भारत सरकार ने विदेश से लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए 'SWADES' योजना की घोषणा की है, लेकिन समस्या यह है कि इसमें कार्यान्वयन अभी तक अनिश्चित है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सबसे बड़े लाभार्थी, केरल ने प्रवासियों के बहुमुखी संसाधनों का उपयोग करने के लिए 'ड्रीम केरल' योजना की घोषणा की है। बांग्लादेश ने रिटर्न प्रवासियों के पुनर्वास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें आगमन पर पैसा, स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धन और COVID-19 से विदेश में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल हैं। पाकिस्तान

का प्रवासी रोजगार निगम वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रमों के साथ सामने आया है।

देखा जाए तो खाड़ी में पिछले तीन प्रमुख संकट – कुवैत में इराकी आक्रमण, वैश्विक आर्थिक संकट और सऊदी अरब में निताकत कानून- ने बड़े पैमाने पर वापसी प्रवासन शुरू नहीं किया था। हालांकि, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ COVID-19 की अभूतपूर्व प्रकृति ने रिवर्स माइग्रेशन के अप्रत्याशित स्तर को बढ़ावा जरूर दिया है। अतीत में,मूल निवासियों में उच्च बेरोजगारी, आर्थिक संकट, जनसांख्यिकीय असंतुलन और अरब स्प्रिंग ने GCC देशों में श्रम के राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन को गति दी।

अब, श्रम के राष्ट्रीयकरण और प्रवासी विरोधी भावना के लिए आंदोलन चरम पर है। ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों ने निजी कंपनियों को छँटनी रोकने के लिए सब्सिडी प्रदान की है। हालाँकि, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में कुछ नौकरियों और शाही शेख संस्कृति के प्रभाव से जुड़े संकट को संबोधित नहीं किया जा रहा है।

समय की आवश्यकता एक व्यापक प्रवास प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना है। श्रीलंका को छोड़कर किसी भी दक्षिण एशियाई देश के पास पर्याप्त प्रवास नीति नहीं है। महामारी ने हमें दक्षिण एशियाई प्रवासियों के अधिकारों की आवाज उठाने और दक्षेस, आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों के दायरे में दक्षिण एशिया-खाड़ी प्रवास गलियारे को लाने का मौका दिया है।

कफाला प्रणाली

- इस प्रणाली के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को अपना काम बदलने या देश छोड़ने के लिये अपने नियोक्ता की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। कफाला प्रणाली प्रायोजन (Sponsorship) पर आधारित है।
- नए कानूनों के तहत प्रयोजन (Sponsorship) के स्थान पर अनुबंध की व्यवस्था की जा सकती है।
- कफाला प्रणाली के तहत हर प्रवासी श्रमिक को एक स्थानीय प्रायोजक की जरूरत होती है।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कफाला प्रणाली को मौजूदा दौर की गुलामी कहा है। प्रायोजक एक व्यक्ति या संगठन के रूप में हो सकता है।
- वर्ष 2022 में कतर में फुटबॉल विश्वकप का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिये वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर आकर कार्य कर रहे हैं।
- मानवाधिकार समूहों के अनुसार, कतर में मजदूरों की कार्य-दशाएँ कष्टकारी हैं, जिनमें कार्य करते हुए मजदूरों की मृत्यु तक हो जाती है।

ड्रीम केरल प्रोजेक्ट

- केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2020 को अनिवासी भारतीय के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, COVID-19 प्रकोप के कारण रोजगार के नुकसान के कारण अनिवासी लोग भारत लौटे हैं। इस परियोजना को 'ड्रीम केरल' प्रोजेक्ट नाम दिया गया है।
- ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के माध्यम से, न केवल वापसी करने वाले अप्रवासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाएगा, बल्कि परियोजना की सफलता विशेषज्ञता, कौशल और लौटने वाले केरलवासियों के ज्ञान पर निर्भर करेगी जो अंतर्राष्ट्रीय नौकरी परिदृश्य में प्रशिक्षित हैं। परियोजना का समन्वय केरल सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाएगा।
- केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने 100 दिन के भीतर परियोजना के सफल क्रियान्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समय अवधि के भीतर, राज्य सरकार केरलवासियों से प्रस्तावों और सुझावों को स्वीकार करेगी, प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया जाएगा। विशेषज्ञ राय के लिए युवा सिविल सेवकों का एक पैनल भी बनाया जाएगा।

वंदे भारत मिशन

- कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु 'वंदे भारत मिशन' चलाया गया है।
- इस मिशन के अंतर्गत कुछ ही लोगों को भारत वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी, जैसे- जिनके रोजगार समाप्त हो गए हैं, जिनके वीजा समाप्त हो गए हैं और वर्तमान परिस्थितियों के कारण उत्पन्न समस्या से अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया हो।
- वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1.7 लाख लोगों के निकासी ऑपरेशन के बाद यह मिशन अब तक का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन है, जिसमें अब तक 7.88 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को वापस लाने में सफलता हासिल की जा चुकी है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु

- यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है।
- ऑपरेशन समुद्र सेतु 8 मई को शुरू हुआ, जब आईएनएस जलाश्व ने मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीय नागरिकों को वापस लाया।
- INS जलाश्व, नौसेना का सबसे बड़ा एम्फिबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है।
- इस निकासी अभियान के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत जलाश्व (Jalashwa) एवं मगर (Magar) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- INS मगर, भारतीय नौसेना में 'मगर श्रेणी' के एम्फिबियस युद्धपोतों में से एक प्रमुख जहाज है। अभी और लोगों को इसी तरीके से वापस लाने के लिए मालदीव से भारत वापस आने वाले भारतीयों की सूची तैयार की जा रही है।
- पोत में बैठाने से पहले इनका मेडिकल चेकअप भी किया जायेगा और पोत में सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल सुविधा का भी इंतजाम किया गया है।
- इस ऑपरेशन का संचालन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा केंद्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है।

GS WORLD

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. COVID-19 महामारी के दौरान उत्पन्न प्रवासी मजदूर संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-

1. विदेशों में फँसे प्रवासी भारतीयों को वायुमार्ग से वापस लाने के लिए भारत ने 'वन्दे भारत मिशन' शुरू किया था।
2. विदेशों में फँसे प्रवासी भारतीयों को जलमार्ग से वापस लाने के लिए भारत ने 'सेतु समुद्रम' पहल की शुरुआत की थी।
3. भारत ने विदेशों से लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण हेतु स्वदेश (SWADES) योजना प्रारंभ की।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2

(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of migrant labor crisis arising during the COVID-19 epidemic:

1. India started the 'Vande Bharat Mission' to bringback the migrant Indians stranded abroad.
2. India started the 'SethuSamudram' initiative to bring back the migrant Indians trapped abroad.
3. India has launched the Swadesh scheme for skill mapping of citizens returning from abroad.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 3 (b) 1 and 2

(c) 3 only (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. COVID-19 महामारी के संकटकाल के दौरान विदेशों में फँसे भारतीयों के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा कीजिये, साथ ही यह भी बताइए कि इससे भारत सरकार के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं?

Q. Discuss the steps taken by the government for Indians trapped abroad during the crisis of COVID-19 epidemic, and also explain the challenges that may arise from the Government of India.